अनुदान संख्या 41 - राजस्व विभाग
GRANT No. 41–DEPARTMENT OF REVENUE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	..	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	5874,37,00		6413,85,00	6382,94,70	–30,90,30
पूरक	Supplementary	539,48,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,10,38
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			1,47,00	32,59	–1,14,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					81,07

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" - "Secretariat-General Services" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	7718.00	7022.03	6812.73	–209.30
पु.	R.	–695.97			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2045'' वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	Major Head "2045" Other Taxes and Duties on Commodities and Services					
मू.	O.	1000.00				
				110.00	8.25	–101.75
पु.	R.	–890.00				
मुख्य शीर्ष ''2047'' अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services					
मू.	O.	3855.00				
				3930.09	3573.08	–357.01
पु.	R.	75.09				
मुख्य शीर्ष ''2875'' अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries					
मू.	O.	23113.00				
				21573.95	20584.76	–989.19
पु.	R.	–1539.05				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	534000.00				
पू.	S.	53748.00		604936.00	604936.00	. .
पु.	R.	17188.00				
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	15500.00				
				. .	. .	. .
पु.	R.	–15500.00				

(I) 26122.40 लाख रु.का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 25990.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2045'' - ''संग्रहण प्रभार - अन्य कर और शुल्क - अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर'' - 990.00 लाख रु. संग्रहण प्रभारों की अदायगी के लिए हवाई कंपनियों से बकाया दावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियम एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी - मूल्य वर्धित कर से संबंधित व्यय के लिए राज्यों को अनुदान'' - 9500.00 लाख रु. कराधान अध्ययन की दो संस्थाओं की स्थापना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान'' -

(i) ''केंद्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के कारण राजस्व हानि के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति'' - 10000.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से केंद्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) ''मूल्य वर्धित कर लागू किए जाने के कारण राजस्व हानियों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति'' - 5000.00 लाख रु.; और

(ख) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी'' - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से मूल्य वर्धित कर से संबंधित दावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - राजस्व विभाग'' के अंतर्गत 901.09 लाख रु. की बचत (7707.86 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय आसूचना

(I) Provision of Rs.26122.40 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.25990.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2045" - "Collection Charges - Other Taxes and Duties - Inland Air Travel Tax" - Rs.990.00 lakhs - due to non-receipt of arrear claims from airlines for payment of collection charges.

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Other Administrative Services - Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to States for VAT related Expenditure" - Rs.9500.00 lakhs - due to non-finalisation of the setting up of two institutes of taxation studies.

(C) Major Head "3602" - "Non-Plan Grants" -

(a) "Grant to cover up Gap in Resources" -

(i) "Compensation to UTs for Revenue losses due to phasing out of CST" - Rs.10000.00 lakhs – due to non-receipt of the proposals of Central Sales Tax compensation from the Union Territory Governments.

(ii) "Compensation to UTs for Revenue losses due to introduction of VAT" - Rs.5000.00 lakhs; and

(b) "Other Administrative Services-Payment to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to UTs for VAT related Expenditure" - Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of VAT related claims from the Union Territory Governments.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat – Department of Revenue" – saving of Rs.901.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7707.86 lakhs) was due to non-completion of

यूनिट-इंडिया की फिन नेट परियोजना के चरण-II के पूर्ण न होने, कम्प्यूटरों और इनके सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तराखण्ड के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के पूरा न होने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2047'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय'' - 284.80 लाख रु. की बचत (2260.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, गुप्त सेवा व्ययों एवं किराया, दरों एवं करों के अंतर्गत कम व्यय किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण - अपीलीय अधिकरण'' - 131.31 लाख रु. की बचत (1050.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टाफ के लिए बैठने की व्यवस्था को सुधारने एवं विभाजन के पूर्ण न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2875'' - ''अफीम और एल्केलायड उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''नीमच अफीम कारखाना'' -

(क) ''प्रबंधन'' - 166.30 लाख रु. की बचत (887.76 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम के प्रेषण के संबंध में रेलवे से माल भाड़ा के बिलों के प्राप्त न होने और उपस्वापक आयुक्त एवं शासकीय अफीम और एल्केलायड निर्माण कार्य के विपणन प्रकोष्ठ से कम प्रावधान प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''अफीम की खरीद'' - 3611.72 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्पादकों को अदायगी पर कम व्यय किए जाने और खरीद कर के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' - 997.93 लाख रु. की बचत (1948.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज के कम मामले होने की वजह से निधियों

phase-II of FINnet project of Financial Intelligence Unit-India, non-procurement of computers and its peripherals, non-completion of computerisation project of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand and non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "2047" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate" - saving of Rs.284.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2260.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less expenditure under secret service expenses and rent, rates and taxes and economy measures.

(B) "Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal – Appellate Tribunal" - saving of Rs.131.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.50 lakhs) was due to non-completion of upgradation and partition of seating arrangement for staff.

(IV) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Neemuch Opium Factory" -

(a) "Management" - saving of Rs.166.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.887.76 lakhs) was due to non-receipt of bills of freight charges from Railways against dispatch of Opium and receipt of less provision from the Deputy Narcotics Commissioner and Marketing Cell of Government Opium and Alkaloid works.

(b) "Purchase of Opium" - saving of Rs.3611.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to less expenditure incurred on payment to cultivators and Purchase Tax.

(c) "Other Expenditure" - saving of Rs.997.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1948.00 lakhs) was due to lower

के कम आहरण किए जाने और स्थानीय निकाय द्वारा निर्यात पर नए उगाहे गए विद्यमान कर की अदायगी आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''गाजीपुर एल्केलायड वर्क्स - अन्य व्यय'' - 384.28 लाख रु. की बचत (935.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''नीमच एल्केलायड वर्क्स - अन्य व्यय'' - 500.02 लाख रु. की बचत (2600.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अच्छी गुणवत्ता की तरल अफीम की कमी की वजह से घटिया/दोही अफीम, संचित अर्ध परिष्कृत, कच्ची औषधि की अधिक मात्रा प्रभारित किए जाने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - संसाधनों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए अनुदान - केंद्रीय बिक्री कर समाप्त किए जाने के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति'' के अंतर्गत 23112.00 लाख रु. की बचत (240000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम केंद्रीय बिक्री कर दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (49800.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''संसाधनों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए अनुदान - मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू किए जाने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 53748.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2047'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान को अनुदान'' - 116.53 लाख रु. का अधिक व्यय (441.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समग्र अनुदान प्रावधान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और परिलब्धियों की दरों में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

withdrawal of funds leading to less incidence of interest and postponement of payment of newly levied exist tax by local body on export.

(B) “Ghazipur Alkaloid Works - Other Expenditure” - saving of Rs.384.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.935.00 lakhs); and

(C) “Neemuch Alkaloid Works – Other Expenditure” - saving of Rs.500.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.25 lakhs).

Savings under the above two heads were due to charging of more quantity of inferior/dohi Opium, accumulated semi refined, crude drugs owing to scarcity of good quality liquid opium.

(V) Under Major Head “3601” - “Non-Plan Grants - Grant to cover up Gap in Resources – Compensation to State Governments for Revenue losses due to phasing out of CST” - saving of Rs.23112.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240000.00 lakhs) was due to receipt of less Central Sales Tax claims from the State Governments.

3.(I) The above savings were partly (Rs.49800.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.53748.00 lakhs in March, 2008 under Major Head “3601” - “Grant to cover up Gap in Resources-Compensation to States for Revenue loss due to introduction of VAT”.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2047” - “Other Expenditure – Grants to National Institute of Public Finance and Policy” – excess of Rs.116.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.441.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for corpus grant provision and increase in the rate of emoluments.

(खा) मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम और एल्केलायड उद्योग" -

(क) "गाजीपुर अफीम कारखाना - अफीम की खरीद" - 713.74 लाख रु. का अधिक व्यय (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बजटीय मात्राा की तुलना में अफीम की अधिक मात्रा में अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "गाजीपुर एल्केलायड वर्क्स - प्रबंधन" - 1152.48 लाख रु. का अधिक व्यय (1844.47 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "नीमच एल्केलायड वर्क्स - प्रबंधन" - 1176.13 लाख रु. का अधिक व्यय (2252.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सीमा शुल्क की उच्च दर पर कोडीन फास्फेट की अधिक मात्रा का आयात किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 6.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4875" - "अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

5. ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलायड फैक्टरियां:-***

ये निधियां 1970-71 में एल्केलायड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसम्पत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यह्रास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

(B) Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" -

(a) "Ghazipur Opium Factory – Purchase of Opium" – excess of Rs.713.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to procurement of more opium against the budgeted quantity.

(b) "Ghazipur Alkaloid Works – Management"– excess of Rs.1152.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1844.47 lakhs); and

(c) "Neemuch Alkaloid Works – Management" – excess of Rs.1176.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2252.75 lakhs).

Excess under the above two heads was due to import of higher volume of Codeine Phosphate on higher rate of custom duty.

4. In the capital section of the grant, provision of Rs.6.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4875" – "Capital Outlay on Other Industries".

5. ***Depreciation of Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-***

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

वर्ष 2007-08 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:-

Account of Depreciation Reserve Fund for 2007–2008 was as under:-

	गाजीपुर/Ghazipur		**नीमच/Neemuch**	
	अफीम फैक्टरी Opium Factory	**एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works**	**अफीम फैक्टरी Opium Factory**	**एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works**
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष/Opening Balance	6,39,82	5,52,43	2,87,70	10,32,51
प्राप्तियां/Receipts	17,50	31,00	20,00	55,00
जमा किया गया ब्याज/Interest Credited	37,80	52,50	15,50	47,00
अदायगियां/Payments	. .	. .	. .	. .
अंतशेष/Closing Balance	6,95,12	6,35,93	3,23,20	11,34,51